सर्व - कर्मी

महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337452
फैक्स नं0 : 0522–2337453
सीयूजी : 9454400136
Email sec1-pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

पीएसी–1–153(01)2024 / 3355
दिनांक: दिसम्बर 03,2024

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या:दस–245 / 2023(अधियाचन) दिनांक 28.11.2024 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी–चार–5(17) / 2024 दिनांक 27.11.2024 के साथ संलग्न सूची में अंकित ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष–2024 की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त पाये गये 30 मुख्य आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी / जनपद / इकाई से उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर कालम संख्या–6 में अंकित वाहिनी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है, यह पदोन्नति नव नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी:–

क0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित वाहिनी / इकाई / जनपद	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	51	892028524	प्रमोद पचौरी	मथुरा	41वीं गाजियाबाद	2024
2	56	872650974	जितेन्द्र प्रताप सिंह	हापुड	41वीं गाजियाबाद	2024
3	69	920520435	यूनिस सलीम	मथुरा	38वीं अलीगढ़	2024
4	72	920460670	जगवीर सिंह	कासगंज	23वीं मुरादाबाद	2024
5	74	872028267	यशपाल सिंह	हापुड	41वीं गाजियाबाद	2024
6	80	952404808	जुल्फेकार अली	शाहजहॉपुर	23वीं मुरादाबाद	2024
7	81	952640981	वीरेश कुमार	23वीं मुरादाबाद	23वीं मुरादाबाद	2024
8	83	982236392	बनै सिंह	फिरोजाबाद	49वीं गौतमबुद्धनगर	2024
9	84	982400863	दलवीर सिंह	हापुड	41वीं गाजियाबाद	2024
10	86	912412654	अशोक कुमार शुक्ला	फतेहगढ़	10वीं बाराबंकी	2024
11	88	872490419	आबिद हुसैन	मैनपुरी	08वीं बरेली	2024
12	96	940480939	नन्दकिशोर	अलीगढ	08वीं बरेली	2024
13	97	972765251	प्रभुनरायण	कमिश्नरेट वाराणसी	36वीं वाराणसी	2024
14	100	942320509	अखिलेश यादव	महराजगंज	26वीं गोरखपुर	2024
15	101	940510384	रंगी लाल	उ0प्र0पुलिस अकादमी मुरादाबाद	36वीं वाराणसी	2024

16	105	980720224	मनोज कुमार	राज्य आपदा मोचन बल, उ0प्र0	48वीं सोनभद्र	2024
17	108	890450291	शैलेन्द्र कुमार	महोबा	10वीं बाराबंकी	2024
18	109	980630365	सुखदेव	फतेहगढ़	02वीं सीतापुर	2024
19	110	960750449	वीर पाल	ए0पी0टी0सी0, सीतापुर	09वीं मुरादाबाद	2024
20	111	920451294	मोहम्मद नजीर	कमिश्नरेट लखनऊ	02वीं सीतापुर	2024
21	113	980701241	सुनील राही	कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर	41वीं गाजियाबाद	2024
22	115	890660012	रामजन्म प्रसाद	गाजीपुर	02वीं सीतापुर	2024
23	120	050440665	दीपक कुमार त्यागी	कमिश्नरेट कानपुर नगर	49वीं गौतमबुद्धनगर	2024
24	121	030590696	अशोक कुमार चौहान	एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ	48वीं सोनभद्र	2024
25	122	862550082	भूदेव सिंह	मथुरा	15वीं आगरा	2024
26	126A	830770151	सरोज कुमार सिंह	35वीं पीएसी लखनऊ	35वीं लखनऊ	2024
27	127	830660102	श्रीराम	48वीं पीएसी सोनभद्र	48वीं सोनभद्र	2024
28	132	830600063	रवीन्द्र दीक्षित	35वीं पीएसी लखनऊ	35वीं लखनऊ	2024
29	134	830770210	कृष्णवीर सिह	06 पीएसी मेरठ	06वीं मेरठ	2024
30	135	830690189	रजई सिंह यादव	36वी पीएसी वाराणसी	36वीं वाराणसी	2024

2– यदि किसी मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/पीएसी कर्मी का नियुक्ति स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके नवनियुक्ति स्थानान्तरित वाहिनी में कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3– पदोन्नत उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी को पदोन्नति की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस से संलग्न प्रारूप–क में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ विद्यमान न हों:–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्वित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्वन्धित मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो संवंधित कर्मी की पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए दिशा निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6— उक्त कार्मिकों में से जो कर्मी मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस पद विषयक आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किये है उनके पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा। सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मुख्य आरक्षी सशस्त्र/पीएसी पद विषयक आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

संलग्नकः प्रारूप(क)

3/12

(आशुतोष कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/कानुपर

2—अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद।

3—अपर पुलिस महानिदेशक, ए0पी0टी0सी0 सीतापुर।

4—अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0 लखनऊ।

5—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा/हापुड़/कासगंज/शाहजहॉपुर/ फिरोजाबाद/फतेहगढ़/मैनपुरी/अलीगढ़/महराजगंज/महोबा/गाजीपुर।

6—सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल लखनऊ।

7—सेनानायक, 02वीं/06वीं/08वीं/09वीं/10वीं/15वीं/23वीं/26वीं/35वीं/36वीं/41वीं/48वीं/49वीं वाहिनी पीएसी उ0प्र0।

8—समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

9—समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

10—समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश।

11—पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उ0प्र0।

स्वघोषणा-पत्र

मैं...(नाम/पदनाम व पीएनओ)................ पुत्र.................... ....निवासी .... थाना...................... जनपद............... ....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम) .... नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र .... का मुख्य आरक्षी हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) ''मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।''

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/ दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली'1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/ दिनांक तथा कारण ....

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई .... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0.................................धारा.......................थाना............................... जनपद.................................. में लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी .... द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में .... स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।